न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण निगरानी / 2018 निगरानी - 5901/2018/उज्जैन/भू.रा.-

श्री .... द्वारा आज दि. 27/09/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 03/10/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

27/09/18

1. मोहम्मद रफीक पिता बाबु खां जाति मुसलमान आयु 47 वर्ष
2. मोहम्मद हनीफ पिता बाबु खां आयु 44 वर्ष
3. मेहरूनिशा पति स्व. बाबु खां आयु 62 वर्ष

निवासीगणः– ग्राम सादबा तहसील तरना जिला उज्जैन म.प्र.

4. शहजाद बी पति शरीफ पिता बाबु खां आयु 54 वर्ष निवासी ग्राम केशवाल तराना
5. रूकसाना बी पति जाहिद पिता बाबु खां आयु 43 वर्ष निवासी शाजापुर
6. शहनाज बी पति मन्नान खां पिता बाबु खां आयु 53 वर्ष निवासी केसवाल तराना
7. शबाना बी पति शकील पिता बाबु खां आयु 36 वर्ष निवासी देपालपुर जिला इन्दोर

...........आवेदकगण

विरूद्व

1. शेख न्याज मोहम्मद पिता नवाब खां मुसलमान आयु 72 वर्ष धंधा पेशन्र निवासी 111 ए विवेकानंद कालोनी, उज्जैन
2. शेख निसार पिता न्याज मोहम्मद आयु 47 वर्ष धंधा कुछ नही निवासी 111 ए विवेकानंद कालोनी उज्जैन
3. शेख रईस पिता नवाब खां जाति मुसलमान आयु 51 वर्ष धंधा शा. शिक्षक निवासी आदर्श नगर कालोनी नागझिरी उज्जैन

निरंतर..........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5901/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण में कैवियट प्राप्त हुई है। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 17.09.2018 जिसके द्वारा उन्होंने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी तराना का आदेश दिनांक 05.09.2018 का क्रियान्वयन आगामी पेशी दिनांक 29.10.2018 तक स्थगित करते हुए अभिलेख बुलाए जाने के आदेश दिए गए। ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया नहीं है। जहां तक स्थगन का प्रश्न है आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण बंटवारे का है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश के निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं जो उचित हैं। प्रकरण में स्थगन का कोई आधार नहीं होते हुए अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। विचारोपरांत आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे स्थगन के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनकर पुन: निर्णय लें तथा प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों पर दो माह में विधिवत करें। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। **प्रशासकीय सदस्य**	